भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *79
(दिनांक 07.02.2023 को उत्तर देने के लिए)

जुए/सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई

***79. डॉ. थोल तिरुमावलवनः**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जुए या सट्टेबाजी को बढ़ावा देने के लिए किसी भी मीडिया पर विज्ञापन देने के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में कोई परामर्श/चेतावनी जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त अनुदेशों के उल्लंघन के लिए किसी भी व्यक्ति, टीवी चैनल, रेडियो चैनल, पत्रिका, समाचार पत्र, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और किसी अन्य डिजिटल मीडिया या संस्था के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 07.02.2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *79 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): "सट्टेबाजी और जुआ" संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 34 और 62 के तहत आते है जिसमें राज्यों द्वारा उनके विनियमन का प्रावधान है। पूर्ववर्ती सार्वजनिक दयूत अधिनियम, 1867 के आधार पर, अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने अधिकार क्षेत्र में सटेबाजी और जुए से निपटने के लिए अपने कानून बनाए है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्राइवेट सेटेलाइट टीवी चैनलों, डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफार्मों से ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों और उनके किसी भी सरोगेट उत्पादों के विज्ञापनों के प्रकाशन से बचने की सलाह देते हुए दिनांक 13.06.2022 और दिनांक 03.10.2022 को एडवाइजरी जारी की हैं।

मंत्रालय के संज्ञान में जब भी इस संबंध में कोई विशिष्ट उल्लंघन आता है तो यह मंत्रालय उपयुक्त कार्रवाई करता है।

****